न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :–राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान केशराराम कुमार बनाम संतोष देवी आदि

वाद संख्या 187 वर्ष 2024

केशराराम पुत्र बालाराम जाति धाणक निवासी झांझणी तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादी–

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी महेन्द्र जाति धाणक निवासी लिलकी तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लिखित व मौखिक हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर

उपस्थिति :-

1. श्री आशाराम आचार्य एडवोकेट वास्ते वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. तहसीलदार तारानगर वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 ।

–: निर्णय :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नं. 790/258 तादादी 1.2771 हैक्ट. रोही ग्राम झांझणी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो कि वादी के ही कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग में है। यही विवादित कृषि भूमि है। वादी गरीब, मजदूरी पेशा वाला व्यक्ति है, जिसका आजीविका का एकमात्र यही साधन कृषि भूमि है जिससे वह अपने बच्चों का भरण-पोषण करता है । उक्त कृषि भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिसको वादी अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 संतोष देवी जो कि बदमाश प्रवृति की औरत है जो कि वादी की गरीबी का फायदा उठाकर उसकी खातेदारी भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहती है तथा अप्रार्थिनी संतोष देवी ने जबरदस्ती अवैध व गैर कानूनी तरीके से वादी की जमीन रोककर वहां पर नाजायज रूप से कमरे का निर्माण शुरू किया था तब वादी द्वारा उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर उक्त निर्माण को बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि उक्त मकान वादी की खातेदरी भूमि में स्थित था तथा प्रतिवादी संख्या 1 संतोष देवी अतिक्रमी द्वारा अवैध व गैर कानूनी तरीके से वहां पर बिजली का कनेक्शन भी ले लिया था। जिसकी शिकायत वादी द्वारा उच्चाधिकारी को की गई थी तब बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा उक्त कनेक्शन को हटा दिया गया था लेकिन इसके पश्चात अप्रार्थिनी ने उच्चाधिकारी से सम्पर्क कर रूपयों के बल पर दुबारा उक्त हटाये हुए कनेक्शन को ले लिया था। लेकिन अब वर्तमान में वादी द्वारा उक्त अवैध कनेक्शन को हटाने बाबत आपके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें आप द्वारा उक्त कनेक्शन को हटाने के लिये सक्षम

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अनुवानी केशराराम बनाम राजस्थान सरकार आदि मु.नं. 91/2020 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.03.2021 को फैसला किया जा चुका है उक्त निर्णय में न्यायालय हाजा के आदेशानुसार वादी द्वारा नियमानुसार शुल्क 200/- रूपये ई-चालान से दिनांक 22.06.2021 को जमा करवा दिया गया था। इसके पश्चात तहसीलदार महोदय द्वारा टीम गठित कर उक्त खेत का सीमा ज्ञान करवाया गया। टीम गठित द्वारा जब सीमाज्ञान किया गया तो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया अतिक्रमण वादी के खातेदारी खेत में पाया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर हंगामा मचा दिया जिसके कारण उक्त कृषि भूमि की सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पत्थरगढ़ी नहीं हो सकी क्योंकि पत्थरगढ़ी करने गये तो मौके पर संतोष देवी तथा उसके साथ बदमाश व्यक्तियों ने उक्त खेत की पत्थरगढ़ी नहीं करने दी क्योंकि उक्त अधूरा कमरा पत्थरगढ़ी करते समय वादी के खातेदारी खेत में पाया गया जिसके कारण संतोष देवी ने उक्त वादी के खेत की पत्थरगढ़ी नहीं होने दी।

वादी हमेशा से ही अपनी खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके का फायदा उठाकर भूमाफियाओं का गिरोह बना रखा है जो वादी की कमजोरी व गरीबी देखकर वादी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि वादी असहाय है लाट्ठी का जोर नहीं है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 धन, दौलत एवं लाट्ठी के जोर वाली है जिन्होंने वादी की कृषि भूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण किया है जिनको वादी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरदस्ती वादी की जमीन रोककर नाजायज अधूरा कमरा बना रखा है । वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा करने पर ओलमा दिया तब प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि भूमि हम खाली नहीं करेंगे तथा आज दिवस तक जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटाया है। उक्त अतिक्रमण को पुलिस इमदाद से जेसीवी मशीन से हटाने के लिये आदेशित करें तथा मौके पर पड़े सामान को जब्त सरकार किया जावे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि वो वादी की खातेदारी जमीन पर से कब्जा हटा लेवें एवं कब्जा सौंप देवें । वादी को प्रतिवादी संख्या 1 संख्या 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि वो वादी की खातेदारी जमीन पर से कब्जा हटा लेवें एवं वादी को कब्जा सौंप देवे। प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो टालमटोल करती रही आखिरकार दिनांक 10.07.2024 ऐसा करने से इन्कार हो गया। ऐसी सूरत में वादी के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध उक्त बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः यही तारीख वाद कारण है व वादाधार वाद वादी को विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये नाजायज बलात कब्जा से हासिल है।

वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के लगातार न्यायालय में अनुपस्थित होने के कारण इनके खिलाफ दिनांक 17.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तारानगर को दिनांक 30.08.2024 को विवादित कृषिभूमि की पैमाईश व मौका रिपोर्ट के लिए तहरीर जारी की गई। दिनांक 14.02.2025 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राज्य पक्ष प्रभावित नही होने से राज्य सरकार की ओर से राजपैरोकार के जवाब दावा की आवश्यकता नही है। वाद का खंडन पेश नहीं होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं है। वकील वादी द्वारा साक्ष्य नही करवाना जाहिर किया गया है। जिसके कारण पत्रावली को बहस में रखा गया।

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

वकील वादी की वहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी की वहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

—:आदेश:—

वकील वादी के निवेदन पर तहसीलदार तारानगर के पत्रांक भू.अ./2024/1790 दिनांक 31.12.2024 के संलग्न पटवार हल्का नेठवा की जांच रिपोर्ट के अनुसार:-

अनुवानी केशराराम धानक निवाझी झांझनी रोही झांझणी के खसरा नं 790/258 तादादी 1.2771 हैक्ट. भूमि की पैमाईश / पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1. रोही ग्राम झाझंनी जमावंदी खाता खंख्या 249 में खसरा नं 444/252 तादादी 0.5817 हैक्ट. खसरा नं. 790/258 तादादी 1.2771 हैक्ट. खसरा नं. 791/267 तादादी 6.7271 हैक्ट. कुल खसरा 03 कुल तादादी 8.5859 हैक्ट. भूमि में अनुवानी केशराराम पुत्र वालूराम धानक निवासी झांझनी का हिस्सा 8/107 दर्ज है।
2. तहसीलदार तारानगर के आदेशानुसार पूर्व में दिनांक 01.06.2019 को खसरा नं. 790/258 तथा 791/267 की सीमा जानकारी कर दी गई तथा दिनांक 29.05.2020 को फिर से आदेशानुसार खसरा नं. 790/258 की सीमा जानकारी अनुवानी केशराराम को करा दी गई थी।
3. तहसीलदार तारानगर के आदेश क्रमाक/भू.अ./प.ग./2021/1033 दिनांक 06.04.2021 व माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय न्यायालय के आदेश क्रंमाक / राजस्व/2021/876 दिनांक 30.03.2021 की पालना में हल्का पटवारी व गिरदावर की टीम द्वारा दिनांक 17.06.2021 को पैमाइश कर सीमा जानकारी दी गई लेकिन अनुवानी केशराराम ने निशानदेही लेने से इनकार कर दिया।
4. तहसीलदार तारानगर के आदेश क्रमाक / भू.अ./प.ग./2022/1084-1089 दिनांक 06.04.2022 की पालना में गठित टीम द्वारा खसरान नं. 790/258 की पत्थरगढी हेतु पैमाईश की गई लेकिन अनुवानी केशराराम ने पत्थरगढ़ी कराने से इन्कार कर दिया तथा मौके से चला गया।

इस प्रकार उपरोक्त भूमि में अनुवानी केशराराम सह खातेदार है जिसका हिस्सा 8/107 दर्ज है तथा राजस्व टीम द्वारा चार वार उपरोक्त भूमि की पैमाईश की जा चुकी हैं तथा अनुवानी केशराराम संतुष्ट नहीं है। अतः अनुवानी केशराराम को भू-प्रवंध विभाग द्वारा सीमा जानकारी कराई जाकर या अन्य टीम का गठन किया जाकर संतुष्टि दिलाई जा सकती है।

रोही ग्राम झांझणी के खसरा नंवर 790/258 वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा खसरा नंवर 788/257 प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादी द्वारा खसरा नंवर 790/258 व 788/257 के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं वनाया है। चूंकि संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण भूमि में समान अधिकार होता है। ऐसे में विना सहखातेदारों को पक्षकार वनाये प्रस्तुत अनुवानी वाद चहने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 में अंकितानुसार वादी को दिनांक 01.06.2019, 29.05.2020, 17.06.2021, 31.05.2022 को सीमाज्ञान / निशानदेही / पैमाईश करवाई जा चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

इसके बावजुद भी प्रार्थी द्वारा बार-बार निशानदेही लेने से इनकार किया गया है। भू.अ. निरीक्षक तारानगर व पटवारी हल्का नेठवा द्वारा दिनांक 29.05.2020 की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट में रोही ग्राम झांझणी के खसरा नंबर 790/258 के खातेदार द्वारा मौके पर खसरा नंबर 788/257 की भूमि में 2.5 गठा भूमि पर कब्जा व काश्त करना अंकित किया है। वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए ना ही तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया ओर ना ही इस में कोई दस्तावेज पेश किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नंबर 790/258 की भूमि पर कब्जा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाने का प्रावधान है। किन्तु तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होन नही पाया गया है तथा ना ही वादी यह सावित करने में सक्षम रहा है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व काश्त है। ऐसे में अवैध कब्जा सावित नहीं करने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है। यदि वादी चाहे तो भू– प्रवंध विभाग से सीमाज्ञान करवा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)